Signing of fresh nuclear deal with USA

*32. SHRI ARVIND KUMAR SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has signed a fresh nuclear deal with United States of America during the recent visit of USA President to India;

(b) if so, the details of the salient features of the deal;

(c) whether Government has waived the compensation clause in the Nuclear Liability Act, 2010 for USA companies/suppliers; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

India and the U.S. have reached an understanding on the issues related to civil nuclear liability and finalised the text of the Administrative Arrangement to implement the bilateral 123 Agreement.

This understanding was reached in three rounds of discussions in a Contact Group set up for advancing the implementation of civil nuclear cooperation during PM's visit to the U.S. in September, 2014 and was welcomed by the leaders in their Joint Statement of January 25, 2015. During the course of the discussions, using case law and legislative history, India presented its position concerning the compatibility of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (CLND Act) with the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (CSC). The proposed India Nuclear Insurance Pool as a part of the overall risk-management scheme for liability was also presented to the U.S. side. An understanding was then reached, based on India's presentations and the discussion thereon, that our CLND Act is consistent with the international norms on civil nuclear liability.

A set of Frequently Asked Questions (FAQs) and Answers on Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 and related issues has been published on the websites of Ministry of External Affairs and Department of Atomic Energy.

Government has not waived any provisions related to compensation under the Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010.

श्री अरविन्द कुमार सिंह : सभापति महोदय, भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच

जनवरी 2015 के समझौते के अनुसार सप्लाई करने वाली विदेशी कम्पनियों को परमाणु दुर्घटना में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना नहीं है। सरकार और बीमा कम्पनियां अधिकृत 1500 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारा पैसा विदेशी सप्लायर की गलती से होने वाली परमाणु दुर्घटना में प्रभावित होने पर हमें ही मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान कहां तक उचित है? सरकार विदेशी सप्लायर का दायित्व कैसे सुनिश्चित करेगी, ताकि वह खराब सप्लाई न कर सके।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूं कि यह समझौता विदेशी कम्पनियों के लिए नहीं हुआ है। इस समझौते में केवल एक स्पष्टता की गई है और वह स्पष्टता शायद भारतीय कम्पनियों को ज्यादा चाहिए थी। हमारे मन में जो यह भाव आ गया है कि यह अरेंजमेंट विदेशी कम्पनियों के लिए किया गया है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है और कई लोग तो कहते हैं कि यह विदेशी भी नहीं अमरीकी कम्पनियों के लिए किया गया है। आप यह धारणा अपने मन से निकाल दें। जो स्वदेशी संयंत्र हमारे यहां लग रहे हैं, जिनमें सप्लायर भारतीय हैं, वे विदेशियों से ज्यादा मांग कर रहे थे कि आप स्पष्ट करो कि हमारी liability क्या है? जैसे हरियाणा में फतेहाबाद के पास गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट के प्लांट्स लगने हैं। अभी डॉ. मनमोहन जी सिंह वहां पर 700 मेगावाट का उद्घाटन करके आए हैं। वह पूर्णरूप में स्वदेशी संयंत्र है, उसके सप्लायर्स विदेशी हैं, लेकिन वे भी यह चाहते थे कि हमारी liability क्या है, हमारी देयता क्या बनती है, इसको तो स्पष्ट कर दो। अगर हम अपने दिमाग से सबसे पहले यह बात निकाल दें कि यह विदेशी कम्पनियों के लिए किया गया है या अमरीकी कम्पनियों के लिए किया गया है, तो हमारे आधे प्रश्न तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। जो 1500 करोड़ की बात है, तो मुआवजा केवल 1500 करोड़ नहीं है। यह 1500 करोड़ तात्कालिक मुआवजा इंश्योरेंस पूल के माध्यम से है, वरना एक्ट में जो प्रावधान है, वह प्रावधान 300 मिलियन SDR का है, अगर हम अपनी करेंसी कन्वर्ट करें, तो आज वह 2600 करोड़ बनता है। इसके अलावा जो हमारा यह CLND Act है, यह CSC से compatibility है, यह Supplementary Compensation के लिए एक Convention है। यह जो CSC है, इसको हम साइन कर चुके हैं। हमें इसको रेटिफाइ करना है और वहां से भी लगभग यह एक हजार करोड़ बनता है। इसके अलावा मैं आपको यह बता देती हूं कि Act में ही एक प्रावधान है, धारा 6 की उपधारा 1, जिसमें केन्द्र सरकार ने जो कहा है, मैं आपको वह पढ़कर सुना देती हूं, क्योंकि यह बहुत मिथ्या धारणा है कि हम केवल 1500 करोड़ में अपने victims को छोड़ रहे हैं।

> "The maximum amount of liability in respect of each nuclear incident shall be the rupee equivalent of 300 million Special Drawing Rights or such higher amount as the Central Government may specify by Notification."

तो हम अपने victims को 1500 करोड़ में नहीं छोड़ रहे हैं। आज के दिन 300 मिलियन SDR का मतलब 2600 करोड़ रुपये है। लगभग 1 हजार करोड़ रुपये सीएससी का और उसके अलावा न्युक्लियर इसिडेंट्स में — भगवान न करे कि कोई न्युक्लियर हादसा हो, लेकिन अगर हादसा होता है, तो उसके व्यात को देखते हुए, उससे होने वाले नुक़सान को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं एक अधिसूचना जारी करके जितना चाहे, उतना हायर एमाउंट नोटिफाई कर सकती है।

श्री अरविन्द कुमार सिंह : सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये की अधिकतम मुआवजा राशि परमाणु दुर्घटना में प्रभावित लोगों के लिए रखी गई है। परमाणु दुर्घटना होगी तो उसमें लाखों, करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, ऐसी स्थिति में न्यूनतम सीमा तो समझ में आती है, परंतु अधिकतम सीमा का क्या औचित्य है? सरकार द्वारा परमाणु दुर्घटना में पीड़ितों के कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में जाने से रोक लगाकर सरकार ने देश की जनता के हितों से समझौता क्यों किया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, पहले तो मैंने बता दिया है कि यह अधिकतम सीमा नहीं है। आपने कहा कि न्यूनतम सीमा तो उचित है, अधिकतम सीमा का जो कहा है, उस संबंध में मैं बता दूं कि यह अधिकतम सीमा नहीं है। मैंने अभी आपको प्रावधान भी पढ़कर बताया कि 1500 करोड़ रुपया तो तात्कालिक है, जो इंश्योरेंस से आएगा। 2600 करोड़ एक्ट में लिखा है, 1000 करोड़ के करीब सीएससी का है और जितना चाहें, उतना हायर एमाउंट सरकार नोटिफाई कर सकती है। इसलिए पहली बात यह कहना कि यह अधिकतम सीमा है, यह धारणा ही अपने आप में गलत है। आपने जो दूसरा प्रश्न कहा है कि हमने कोर्ट में जाने की मनाही कर दी है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्लेम्स कमिश्नर है, जो इसको एडजूडिकेट करेगा। यदि क्लेम्स कमिश्नर से सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील का दरवाजा खुला है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, at the outset, I would, most respectfully, like to submit something to Sushmaji. If you see part 3 of your reply, I would request that it should not come to the House that we should be looking at the websites for the answers. This is not a part of the reply. This is my submission.

Now, I come to the subject. We are very happy that this Government is taking forward the Indo-US Civil Nuclear Agreement, which was signed in 2008 in supreme national interest. We are, in particularly, happy that this is also an acknowledgement by the present ruling Government and the party that what the UPA did was a correct thing, for which the Government's survival was put to risk.

My question is this. When the Governments have reached an understanding, and correct me, it is understood that it paves a way for the commercial operationalisation. It was meant only for the Indian companies, as you have said, then, there was no need to reach an understanding. We welcome the understanding that has been reached. Surely, there must be some assurances from both the sides. Could you shed some light on what the assurances that India sought were and what assurances you have given. We have noted that the ratification of the Convention on Supplementary Compensation will take place. Does this Agreement paves a way for the end of India's nuclear apartheid? And, India having a special agreement with the International Atomic Energy Agency as well as to become a member of the Nuclear Supplies Group, there are other countries, which supported us, which are our strategic partner countries, I would like to know whether the understanding reached now, during the visit of the US

President, has also been shared with our strategic partner countries, in particular, Russia and France. What is the response of the commercial nuclear entities to this understanding reached?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, भाई आनन्द शर्मा का सवाल कई खंडों में है, इसलिए मैं सबका अलग-अलग जवाब देती हूं। उन्होंने एक प्रश्न में लगभग चार या पाँच सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि वेबसाइट्स पर क्यों डाला, तो मुझे लगता है कि आज के संचार के समय में शायद वेबसाइट चीजों को लोगों तक पहुंचाने का एक सबसे तेज माध्यम है। संसद तो आज लगी है, आज आपको प्रश्न पूछने का मौका मिला है और मैं आपको जवाब दे रही हूं, लेकिन इससे पहले कौन-सा दूसरा माध्यम हो सकता था? वेबसाइट पर भी frequently asked questions and answers है, यानी जितनी चीज़ें आपके मन में उठ रही थीं, जितने प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे, शायद मैं वे प्रश्न एक प्रैस कांफ्रेंस में भी पूरे नहीं कर सकती थी। अगर frequently asked questions and answers वेबसाइट पर डाले, तो वे आपकी अच्छाई के लिए ही थे। अब आप सिर हिला रहे हैं, पर मुझसे सवाल जरूर पूछते हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you are right and yet there is an etiquette of the House. Members will, of course, go to the website.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मैंने यह कहा कि ...

MR. CHAIRMAN: Perhaps, it could have been. Attention could have been drawn differently.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मैंने यह कहा कि आज के संचार के समय में एक वेबसाइट के माध्यम से जवाब देना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी चीज़ों का समाधान पहले हो गया।

दूसरी बात आपने कही कि मैंने यह कहा कि यह अपनी कंपनियों के लिए है, तो हमें उनसे अंडरस्टैंडिंग करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा कि अपनी कंपनियों के लिए भी जरूरत थी। मैंने यह नहीं कहा कि अपनी कंपनियों के लिए ही किया गया है, मैंने कहा कि अकेले विदेशी कंपनियों के लिए नहीं किया गया, बल्कि हमने अपनी कंपनियों के लिए भी किया है, क्योंकि हमारी कंपनियाँ भी भयभीत थीं।

उसके बाद आपने कहा कि हमने एश्योरेंस क्या दी। इसमें एश्योरेंस का सवाल नहीं था, स्पष्टता का सवाल था, क्लैरिफिकेशन का सवाल था। कहीं-न-कहीं उनको यह लगता था कि हमारा जो सीएलएनडी एक्ट है, वह सीएससी से कंपैटिबल नहीं है। वह उनको समझाने की बात थी। जब प्राइम मिनिस्टर सितंबर में वाशिंगटन गए, तो वहाँ उन्होंने एक कांटैक्ट ग्रुप स्थापित करने की बात की, ताकि हम दोनों एक-दूसरे के साथ बैठ कर समझा सकें। तो एक कांटैक्ट ग्रुप बना, जिस कांटैक्ट ग्रुप में हमारी तरफ से एमईए के अधिकारी भी रहे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधिकारी भी रहे, वित्त विभाग के अधिकारी भी रहे, लॉ एंड जस्टिस के अधिकारी भी रहे और एनपीसीआईएल, जो हमारा ऑपरेटर है, उसके अधिकारी भी रहे। इसी तरह व्हाइट हाउस के अपने अधिकारी रहे, उनके डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अधिकारी रहे, उनके वेस्टिंगहाउस और जीई इलेक्ट्रिकल कंपनियों के अधिकारी रहे, जिन्हें कमर्शियल डीलिंग करनी थी। सभापति जी, उनके साथ इस कांटैक्ट ग्रुप की

तीन बैठकें हुई - नई दिल्ली में, वियना में और लंदन में। उन तीनों में हम उन्हें यह समझाने में कामयाब हो गए कि हमारा एक्ट सीएससी से कंपैटिबल है।

इसलिए कोई एश्योरेंस नहीं देनी पड़ी। बात केवल यहाँ अटकी हुई थी कि हम उन्हें यह बताने में कामयाब हो जाएँ कि हमारा एक्ट इंटरनेशनल लॉ से कंपैटिबल है और स्पेशली सीएससी से। हम वह बताने में कामयाब हो गए, तो मामला आगे चल पड़ा।

श्री के.सी. त्यागी : सर, क्वैश्चन ऑवर को बंद कर दिया जाए और सारे सवालों का जवाब वेबसाइट पर डाल दिया जाए। फिर क्वैश्चन ऑवर की क्या आवश्यकता है?

MR. CHAIRMAN: No, no. Tyagi*ji*, that matter is over now. Please.

SHRI H.K. DUA: Will the Minister of External Affairs clarify whether the US has agreed to work for India's membership of not only NSG but also of Wassenaar Group, Australia Group and MTCR? These are four groups in all. When does the Minister think India can be a member of these four groups?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, राष्ट्रपति ओबामा के साथ जो बात हुई, उसमें चारों की बात हुई है, वासेनर ग्रुप की भी, आस्ट्रेलिया ग्रुप की भी, एनएसजी की भी और एमटीसीआर की भी। अभी भाई आनन्द शर्मा जी ने भी यह जानना चाहा था कि जो हमारे बाकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, क्या हमने उनसे यह बात की? यह संयोग बन गया कि यहाँ राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा होने के बाद मेरी यात्रा चीन में हुई। वहाँ चीन में चूँकि आरआईसी की मीटिंग भी थी, तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से भी मेरी बात हुई। सबसे मैंने यह बात शेयर की कि उन्होंने एनएसजी के लिए हमारी मेम्बरशिप मानी है और मुझे आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि आरआईसी से भी जो ज्वायंट कम्युनिक निकला, उसमें भी उन दोनों ने एनएसजी के लिए हमारा समर्थन किया। दुआ साहब ने पूछा कि हम यह कब करेंगे। एमटीसीआर और एनएसजी के लिए तो अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह ही दिया है, चारों एक्सपोर्ट रेजिम कंट्रोल्स के लिए कहा है, लेकिन अभी ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। हम लोग यह सोचते हैं कि हमारे बाकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ। जैसे ही ग्राउंड वर्क तैयार होगा, हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे।

SHRI ANIL DESAI: Mr. Chairman, Sir, with your permission, I would like to ask the External Affairs Minister to shed some light on the treatment of nuclear waste which will be created from power generation out of nuclear plants. Could she explain about that because nuclear waste is the real problem faced even by the countries which are having nuclear plants, the Western countries? My question is that the radiation which comes out of it may have serious consequences on the population of India, considering the density of population, particularly of our country.

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सभापति, यह सबसे बड़ी समस्या थी कि spent fuel का क्या करें, लेकिन इस समझौते में spent fuel की reprocessing के राइट्स हम लोगों ने ले लिए हैं। अब spent fuel को reprocess करके हम लोग plutonium तक पहुंच रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No.33. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have been raising my hand earlier than anybody else.

MR. CHAIRMAN: But I have to choose from ten or twelve notices three only. ...*(Interruptions)*... I appreciate your sentiments. But please understand my position. Thank you. Question No. 33.

Discontinuation of the Rajiv Awas Yojana

*33. DR. K.P. RAMALINGAM: Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has discontinued the Rajiv Awas Yojana and the liabilities, created by way of approval of projects, are proposed to be subsumed in the new scheme, if so, the details thereof; and

(b) whether it is also a fact that in place of the Rajiv Awas Yojana, Government has come out with a new scheme titled 'The Sardar Patel National Mission for Urban Housing,' if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In pursuance of the Government's goal of providing houses to all by 2022, this Ministry is in the process of launching a comprehensive Mission for "Housing for All" in place of Rajiv Awas Yojana (RAY). Decision regarding the liabilities for approved projects under RAY is under consideration of the Ministry.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, our country is a Welfare State extending benefits to poor. This is our main concern. The Rajiv Awas Yojana was launched in 2011 with a motive of making a slum-free India. Then this Scheme was converted in 2013 as a fully Centrally-sponsored scheme for a period of nine years, *i.e.*, 2013-2022. During this short span, which is time-specific, so far 21 cities from seven States have submitted 55 pilot projects for construction of 42,488 dwelling units.

My first supplementary question is, whether the Government will carry on with the already approved projects for the construction of 42,488 dwelling units or you have cancelled everything.